



Neutral Citation No. -2026: AHC: 179513

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30038/2026

विजय कश्यप

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: जिज्ञाषा त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री इमरान खान को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 16/2026, अंतर्गत धारा 190, 191(2), 191(3), 103(1), 3(5), 61(2)क भारतीय न्याय संहिता, थाना- ट्रांस यमुना, जनपद-आगरा में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है तथा प्राथमिकी में कोई व्यक्ति नामजद नहीं था, लेकिन विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर आवेदक को अभियुक्त बनाया गया। यह भी आरोप है कि आवेदक ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। वह आगे प्रस्तुत करते हैं, आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो उसे वर्तमान अपराध से जोड़ता हो।
4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, आवेदक के साथ विवेचना के दौरान कई अन्य व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। उनके जमानत आदेश वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न हैं तथा आवेदक का मामला भी उन्हीं के समान है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध दो अन्य आपराधिक मामले हैं, लेकिन उन मामलों का विवरण एवं स्थिति वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्ट की गई है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान मामले में आवेदक 31.01.2026 अर्थात् छह महीने से अधिक समय से जेल में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
8. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर आवेदक को अभियुक्त बनाया गया। यह आगे स्पष्ट होता है, सह-अभियुक्त के बयान और आवेदक के कथित इकबालिया बयान के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।
9. इसके अतिरिक्त, यह भी परिलक्षित होता है, मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद आवेदक के समान अन्य कई अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है और उनके जमानत आदेश वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न हैं।
10. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक के विरुद्ध दो अन्य आपराधिक मामले हैं किंतु उनके संबंध में आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण वर्तमान जमानत आवेदन में दिया गया है।
11. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 31.01.2026 अर्थात् छह महीने से अधिक समय से जेल में है।
12. अतः, उपर्युक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।
13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
14. आवेदक- **विजय कश्यप** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 25, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)